

राजस्थान सरकार

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.4(1)/अध्यापक/2021/ 10266-311

दिनांक: 21-04-2023

आदेश

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01-02/2022 दिनांक 27.06.2022 के तहत अध्यापक लेवल प्रथम (कक्षा 1-5) संस्कृत/सामान्य (नॉनटीएसपी/टीएसपी) स्वीधी भर्ती 2022 हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों में रीट परीक्षा-2021 के प्राप्तांकों के आधार पर अध्यापक लेवल प्रथम (सामान्य) नॉनटीएसपी पद हेतु वरीयता निर्मित कर प्रोविजनल सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन कर वरीयतानुसार चयनोपरान्त नियुक्ति प्रदान की गई थी। मुख्य सूची में नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यारम्भ नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्कृत विद्यालय में किया जा कर कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 23700/- (L-10) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्वधीन होगा। पूर्व से ही नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्ति राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्वधीन है।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती नहीं होगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार अध्यापक की पे-मेट्रिक्स लेवल-10 में किया जायेगा।
- यह नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 20743/2021 देवेश शर्मा बनाम भारत संघ व अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 15.03.2022 को पारित आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में प्रदत्त नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों के अध्वधीन रहेगी।

अध्यापक लेवल प्रथम - सामान्य (नॉनटीएसपी)

SNO	REET 2021 MARKS	Application No	Candidate Name	Father Name	G	Marital Status	DOB	Category	Selection Category	Special Category	Home District	Name of School	P.S.	Dist.
1	133	202222303747	ARUN SAXENA	ASHOK KUMAR SAXENA	M	UM	15-07-1996	GENERAL	R-UR		BHOPAL	रा.उ.प्रा.सं.वि., नवारखेडा	मावली	उदयपुर
2	133	202222291468	AVINASH UPADHYAY	ASHOK UPADHYAY	M	UM	15-10-1996	GENERAL	R-UR		DHOLPUR	रा.उ.प्रा.सं.वि., आरणी	राशमी	चित्तौड़गढ़
3	133	202222282935	NITIN GAUD	SATYA PRAKASH	M	M	14-03-1997	GENERAL	R-UR		Hathras	रा.प्राथ.सं.वि., रमजानियों की ढाणी	पाहोड़ी	बाड़मेर
4	133	202222299646	SHAHROOKH KHAN	VASHEER KHAN	M	UM	20-06-1997	GENERAL	R-UR		MATHURA	रा.उ.प्राथ.सं.वि., बोराना	रायपुर	भीलवाडा
5	133	202222340296	PRADEEP NAMDEV	DARWARI LAL NAMDEV	M	UM	09-07-1997	GENERAL	R-UR		Panna	रा.उ.प्रा.सं.वि., कुण्डाल	मावली	उदयपुर

6	133	202222304388	RAKESH SINGH RAJAWAT	PRATHAVI SINGH RAJAWAT	M	UM	20-07-1997	GENERAL	R-UR		DAUSA	रा.उ.प्रा.सं.वि., नई आबादी महुडा	बडीसादड़ी	चित्तौड़गढ़
7	133	202222337900	RAMDEEN	BHOOPRAM	M	UM	08-08-1997	GENERAL	R-UR		SHAHJAHANP UR	रा.उ.प्राथ.सं.वि., मोड़ का निम्बाहेड़ा	आसीन्द	भीलवाड़ा
8	133	202222288095	PRADEEP SINGH RAJPUROHIT	SOHAN SINGH RAJPUROHIT	M	UM	05-09-1997	GENERAL	R-UR		PALI	रा.उ.प्राथ.सं.वि., गुढा बच्छराज	सोजत	पाली
9	133	202222327138	SUBHASH SAHU	SHIV KUMAR	M	UM	15-09-1997	GENERAL	R-UR		UNNAO	रा.प्रवे.सं.वि., जयसंगसर	सरदारशहर	चुरु
10	133	202222299780	PRAMOD KUMAR SHARMA	SITA RAM SHARMA	M	UM	01-01-1998	GENERAL	R-UR		DAUSA	रा.उ.प्रा.सं.वि., पडिहारा	रतनगढ़	चुरु
11	133	202222304222	NARENDRA SINGH	LAKH SINGH	M	UM	30-03-1998	GENERAL	R-EWS		JAISALMER	रा.उ.प्राथ.सं.वि., मोरियावास चौखा	केरु	जोधपुर
12	133	202222343446	DIPTI VERMA	DHARMENDRA KUMAR VERMA	F	UM	02-07-1998	GENERAL	R-UR-F	एकल महिला	GORAKHPUR	रा.प्राथ.सं.वि., मसूदा	मसूदा	अजमेर
13	133	202222306965	SHAHNAJ KHATOON	GULAM MOHAMMAD	F	UM	27-09-1998	GENERAL	R-UR-F	एकल महिला	Rewa	रा.उ.प्राथ.सं.वि., गोठियाना	अराई	अजमेर
14	133	202222307750	AMBIKA TIWARI	ASHOK KUMAR SHARMA	F	UM	01-03-1999	GENERAL	R-UR-F	एकल महिला	SIKAR	रा.उ.प्रा.सं.वि., सोमासर	सरदारशहर	चुरु
15	133	202222284117	POOJA SINGH	RAJPAL SINGH	F	UM	05-07-1999	GENERAL	R-UR-F	एकल महिला	West Dehli	रा.प्रवे.सं.वि., लाछंडसर	रतनगढ़	चुरु
16	132	202222318844	MAHENDRA DAS VAISHANAV	MOHAN DAS	M	M	13-04-1989	OBC-NON CREAMY	R-OBC		UDAIPUR	रा.वरि.उ.सं.वि., धोरिया	कुंभलगढ़	राजसमन्द
17	132	202222310522	VIRENDRA KUMAR	OM PRAKASH	M	UM	07-02-1990	OBC-NON CREAMY	R-OBC		CHURU	रा.उ.प्राथ.सं.वि., आचीणा	खींवर	नागौर
18	132	202222299369	ASHOK KUMAR	MOM RAJ	M	M	10-07-1993	OBC-NON CREAMY	R-OBC		JODHPUR	रा.उ.प्राथ.सं.वि., पालासनी	लूणी	जोधपुर
19	132	202222288376	VIVEK TRIVEDI	KAILASH CHAND TRIVEDI	M	M	10-03-1995	GENERAL	R-EWS		PALI	रा.उ.प्रा.सं.वि., बुद्धपुरा	आमेट	राजसमन्द
20	132	202222351401	RAMAVTAR SIKARWAR	BHAURON SINGH	M	UM	04-05-1995	GENERAL	R-EWS		DHOLPUR	रा.प्राथ.सं.वि., नेहरों का वास	गुढामलाणी	बाड़मेर
21	132	202222328021	RAVINDRA SINGH ANDANA	MANGAL SINGH GURJAR	M	UM	07-08-1995	MBC NON- CREAMY	R-MBC		DHOLPUR	रा.उ.प्राथ.सं.वि., सिंगला	रायपुर	पाली

22	132	202222317217	KAMLESH GURJAR	BHANWAR LAL GURJAR	M	UM	11-02-1999	MBC NON-CREAMY	R-MBC		TONK	रा.उ.प्राथ.सं.वि., भोम की ढाणी कापरड़ा	बिलाड़ा	जोधपुर
23	130	202222350709	SUMAN GURJAR	HARI SINGH GURJAR	F	UM	01-05-1999	MBC NON-CREAMY	R-MBC-F		BHARATPUR	रा.प्राथ.सं.वि., हरसुकराम की ढाणी	गुढामलाणी	बाड़मेर
24	128	202222309366	BALBANT SINGH	MALKHAN	M	UM	03-05-1998	S.C	R-SC		BHARATPUR	रा.प्राथ.सं.वि., नवलोनी धेतरवालों की ढाणी	बायतू	बाड़मेर
25	128	202222355414	SANJAY MEGHWAL	SANT KUMAR	M	UM	07-02-2000	S.C	R-SC		BIKANER	रा.उ.प्रा.सं.वि. बरसलपुर	बज्जू	बीकानेर
26	127	202222311563	SHEKHAR	JAGDISH	M	UM	20-05-1991	S.C	R-SC		BHARATPUR	रा.उ.प्रा.सं.वि., भगततलाई	कुंभलगढ़	राजसमन्द
27	127	202222302582	DEVI PRASAD BERVA	RODU LAL	M	M	10-07-1992	S.C	R-SC		JHALAWAR	रा.प्राथ.सं.वि., मेहरजी कुम्हार की ढाणी	बायतू	बाड़मेर
28	127	202222337915	JAI SINGH	RAM LAL	M	M	31-12-1994	S.C	R-SC		HANUMANG ARH	रा.उ.प्राथ.सं.वि. समदड़ी	समदड़ी	बाड़मेर
29	126	202222322466	PARMESHWAR LAL MEENA	RANJEET MEENA	M	UM	25-10-1999	S.T	R-ST		BHILWARA	रा.प्राथ.सं.वि., मेजल नगर	चामू	जोधपुर
30	125	202222299672	VISHRAM MEENA	LATOOR MAL MEENA	M	UM	05-07-1996	S.T	R-ST		DAUSA	रा.उ.प्राथ.सं.वि. जेठन्तरी	समदड़ी	बाड़मेर
31	125	202222353171	DHANRAJ MEENA	RAMLAL MEENA	M	M	05-09-1996	S.T	R-ST		BHILWARA	रा.उ.प्राथ.सं.वि., धानसा	भीनमाल	जालोर
32	125	202222286108	KARISHMA KUMARI	KHEM CHAND	F	UM	16-03-1998	S.C	R-SC-F	एकल महिला	BHARATPUR	रा.उ.प्राथ.सं.वि., ब्राह्मणों का खेड़ा	माण्डल	भीलवाड़ा
33	125	202222356277	MANRAJ BAIRWA	CHHOTU LAL BAIRWA	F	UM	05-05-1998	S.C	R-SC-F	एकल महिला	TONK	रा.उ.प्रा.सं.वि., रामदेवनगर	भीम	राजसमन्द
34	125	202222300126	BANTY KUMAR MEENA	DEVLAL MEENA	M	UM	05-07-1999	S.T	R-ST		BUNDI	रा.उ.प्राथ.सं.वि., रेल की ढाणी, जाखड़ी	रानीवाड़ा	जालोर
35	124	202222302968	KANGANA MEENA	RAJENDRA MEENA	F	M	12-04-1992	S.T	R-ST		BARAN	रा.प्राथ.सं.वि., करजीनाडी, बैरठ	सायला	जालोर
36	124	202222349844	NARENDRA MEENA	GHANSHYAM MEENA	M	UM	28-01-1999	S.T	R-ST		BARAN	रा.उ.प्राथ.सं.वि., सायला	सायला	जालोर
37	120	202222329674	LADA KUMARI DHAKAR	SHANKAR LAL DHAKAR	F	WD	10-07-1999	OBC-NON CREAMY	R-OBC-WD	विधवा	TONK	रा.बा.प्राथ.सं.वि., नगरफोर्ट	देवली	टोंक

1. अभ्यर्थी सर्वप्रथम संकुल केंद्र पर उपस्थित होकर कार्यारम्भ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। संबंधित संकुल प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थियों से पद के अनुरूप पात्रता, जन्म तिथि, आयु, शैक्षणिक योग्यता (संस्कृत शिक्षक हेतु वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा), वर्ग (श्रेणी) आदि संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से जांच कर पूर्ण संतुष्टि के बाद स्वसत्यापित छाया प्रतियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मूल), संतान संबंधी घोषणा पत्र, दहेज संबंधी, धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र एवं नियमानुसार नियुक्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर अभ्यर्थी को तत्काल पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण हेतु भिजवायेगे।
2. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व पद के लिए निर्धारित योग्यता संबंधी दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे एवं दस्तावेजों का एक सैट (अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित) कार्यालय अभिलेख में रखें। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रिमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।
8. एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1-बंजारा, बालदिया, लबाना, 2-गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3-गूजर, गुर्जर, 4- राईका, रेबारी (देबासी), 5- गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) में आवेदित अभ्यर्थी के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं) का जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों हेतु कार्मिक (क-गुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लें।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। (शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप संलग्न है)
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण सत्र की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यारम्भ करावे।
16. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
17. पदस्थापन स्थान आवंटन में आपत्ति होने पर अभ्यर्थी दिनांक- 28.04.2023 तक अपनी परिवेदना मय आधार निदेशक, संस्कृत शिक्षा को प्रस्तुत कर सकते है।

Teacher (Gen) L-1 (Non TSP)
इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर दिनांक- 05.05.2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.teacher.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(डॉ. भास्कर शर्मा)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.4(1)/अध्यापक/2021/ 10266-311
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

दिनांक: 21-04-2023.

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला।
5. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरु)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
6. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष, रा. वरि.उपा./प्रवे. सं. वि. को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
7. वेबसाईट प्रभारी
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संरक्षण पंजिका।

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर